भारत सरकार

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 1333

31.07.2025 **को उत्तर के लिए**

प्लास्टिक से फैलने वाले प्रदूषण को समाप्त करने के लिए एक राष्ट्र - एक मिशन

1333. श्रीमती किरण चौधरी:
श्रीमती संगीता यादव:
श्रीमती दर्शना सिंह:
श्री मिथलेश कुमार:
श्री सुभाष बराला:
श्री केसरीदेवसिंह झालाः
श्री अमर पाल मौर्य:
श्री रामेश्वर तेली:
डा. के. लक्ष्मणः
श्री नारायण कोरागप्पाः
श्री जग्गेश:
श्रीमती माया नारोलिया:

क्या **पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) प्लास्टिक से फैलने वाले प्रदूषण को समाप्त करने के लिए एक राष्ट्र - एक मिशन पहल के अंतर्गत क्या लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं और उनकी प्राप्ति की अपेक्षित समय-सीमा क्या है;

(ख) क्या मंत्रालय सभी स्थानीय निकायों और पंचायतों के लिए राष्ट्रीय प्लास्टिक अपशिष्ट रिपोर्टिंग पोर्टल को अनिवार्य बनाने का विचार रखता है;

(ग) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) ईपीआर दिशानिर्देश लागू होने के बाद से प्लास्टिक प्रतिबंध और पुनर्चक्रण प्रयासों का परिमेय प्रभाव क्या है;

(ङ) क्या अनुपालन करने पर कोई दंड की व्यवस्था है; और

(च) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री
(श्री कीर्तवर्धन सिंह)

(क): पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने 5 जून 2025 को भारत मंडपम, नई दिल्ली में 'एक राष्ट्र, एक मिशन: प्लास्टिक प्रदूषण का अंत' के नारे के साथ विश्व पर्यावरण दिवस, 2025 मनाया। विश्व पर्यावरण दिवस, 2025 से पहले एक महीने तक चलने वाले पूर्व-अभियान कार्यकलापों के तहत, देश भर में लगभग 69,000 कार्यक्रम आयोजित किए गए, जिनमें लगभग 21 लाख लोगों ने भाग लिया।

विश्व पर्यावरण दिवस, 2025 का मुख्य कार्यक्रम दिनांक 5 जून 2025 को मंत्रालय द्वारा दिल्ली सरकार के साथ मिलकर मनाया गया। इस कार्यक्रम में उद्योग जगत, सिविल सोसाइटी, छात्रों और राज्यों तथा संबंधित केंद्रीय मंत्रालयों के सरकारी अधिकारियों ने 'संपूर्ण सरकार' और 'संपूर्ण समाज' के दृष्टिकोण को अपनाते हुए भाग लिया।

माननीय प्रधानमंत्री जी ने विश्व पर्यावरण दिवस (5 जून, 2025) के अवसर पर "एक पेड़ माँ के नाम" पहल के अंतर्गत बरगद का पौधा लगाकर एक विशेष वृक्षारोपण अभियान का नेतृत्व किया और पर्यावरण संरक्षण के प्रति भारत की प्रतिबद्धता की पुष्टि की। यह पौधा अरावली ग्रीन वॉल परियोजना के तहत लगाया गया, जिसका उद्देश्य अरावली पर्वतमाला के 700 किलोमीटर क्षेत्र में पुनर्वनीकरण करना है। उन्होंने दिल्ली सरकार की सतत परिवहन पहल के तहत 200 इलेक्ट्रिक बसों को भी हरी झंडी दिखाई, जो स्वच्छ शहरी आवाजाही को बढ़ावा देती हैं और पारिस्थितिकीय संतुलन के प्रति राष्ट्र की सामूहिक जिम्मेदारी का प्रतीक हैं।

राष्ट्रीय प्लास्टिक प्रदूषण न्यूनीकरण अभियान (एनपीपीआरसी) भी दिनांक 5 जून से 31 अक्टूबर, 2025 की अवधि के लिए शुरू किया गया, जिसमें कई योजनाबद्ध कार्यकलाप शामिल हैं। इस अभियान में स्वच्छता ही सेवा कार्यक्रम के तहत बाघ रिजर्व और शहरी तथा ग्रामीण क्षेत्रों में प्लास्टिक प्रदूषण को कम करने संबंधी कार्यकलाप शामिल हैं। इस विशेष अभियान 5.0 के दौरान, सरकारी कार्यालयों में, विशेष रूप से, अनावश्यक एकल-उपयोग प्लास्टिक के उपयोग को कम करने पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। एकल-उपयोग प्लास्टिक के पर्यावरणीय विकल्पों पर एक हैकथॉन और प्लास्टिक प्रदूषण समाप्ति विषय पर कविता लेखन, नारा लेखन और नुक्कड़ नाटक जैसी रचनात्मक प्रतियोगिताओं के माध्यम से युवाओं को शामिल करना इस अभियान का हिस्सा है।

(ख) और (ग): प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन (संशोधन) नियम, 2024 जो दिनांक 14 मार्च, 2024 को अधिसूचित किए गए थे, के अनुसार, प्रत्येक शहरी स्थानीय निकाय और जिला स्तर पर पंचायतें प्रत्येक वर्ष 30 जून तक निर्धारित प्रपत्र में वार्षिक रिपोर्ट तैयार कर ऑनलाइन प्रस्तुत करेंगे, जो क्रमशः शहरी विकास विभाग और ग्रामीण विकास विभाग को और संबंधित राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड या प्रदूषण नियंत्रण समिति को भी प्रस्तुत की जाएगी। इन वार्षिक रिपोर्टों का अनिवार्य ऑनलाइन प्रस्तुतीकरण, बहु-चरणीय फिजीकल रिपोर्टिंग से हटकर एक परिवर्तनकारी कदम है। राष्ट्रीय प्लास्टिक अपशिष्ट रिपोर्टिंग पोर्टल दिनांक 5 जून 2025 को शुरू किया गया था।

(घ): पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने दिनांक 12 अगस्त, 2021 को प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन संशोधन नियम, 2021 को अधिसूचित किया, जिसके तहत अभिज्ञात की गई एकल उपयोग प्लास्टिक (एसयूपी) वस्तुओं, जिनकी उपयोगिता कम है और कूड़ा फैलाने की संभावना अधिक है, को दिनांक 1 जुलाई 2022 से प्रतिबंधित कर दिया गया। अभिज्ञात की गई एकल उपयोग प्लास्टिक वस्तुओं पर प्रतिबंध लागू करने के लिए देश भर में स्थानीय अधिकारियों के साथ सीपीसीबी/एसपीसीबी/पीसीसी द्वारा नियमित प्रवर्तन अभियान चलाए गए हैं। एसपीसीबी/पीसीसी द्वारा दिए गए विवरण और एसयूपी अनुपालन निगरानी पोर्टल पर उपलब्ध विवरण के अनुसार, कुल 8,61,740 निरीक्षण किए गए हैं और 1985 टन प्रतिबंधित एकल उपयोग प्लास्टिक वस्तुओं को जब्त किया गया है और कुल 19.82 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया गया है।

अभिज्ञात की गई एकल-उपयोग प्लास्टिक वस्तुओं पर प्रतिबंध ने नवीन पर्यावरण-अनुकूल विकल्पों के विकास को गति दी है। केंद्र सरकार, राज्य सरकारों और स्थानीय प्राधिकरणों ने पर्यावरण-अनुकूल विकल्पों की ओर कदम बढ़ाए हैं। राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों और प्रदूषण नियंत्रण समितियों द्वारा दी गई सूचना के आधार पर, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय और केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने "प्रतिबंधित एकल-उपयोग प्लास्टिक वस्तुओं के पर्यावरण-अनुकूल विकल्पों के निर्माताओं/विक्रेताओं का संग्रह" तैयार किया है, विश्व पर्यावरण दिवस, 2025 पर लॉन्च किया गया। इस संग्रह में देश भर में फैली लगभग 1000 इकाइयों का ब्यौरा दिया गया है। पर्यावरण-अनुकूल विकल्पों के विकास को ध्यान में रखते हुए, भारतीय मानक ब्यूरो ने पहले ही कृषि सह-उत्पादों से बने खाद्य परोसने वाले बर्तनों के लिए भारतीय मानक IS 18267 अधिसूचित किया है।

प्लास्टिक पैकेजिंग संबंधी केंद्रीकृत ईपीआर पोर्टल के अनुसार, लगभग 51,000 उत्पादक, आयातक और ब्रांड मालिक तथा लगभग 2600 प्लास्टिक अपशिष्ट प्रसंस्करणकर्ता इस पोर्टल पर पंजीकृत हैं। दिनांक 16 फरवरी 2022 को प्लास्टिक पैकेजिंग संबंधी विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व (ईपीआर) दिशानिर्देशों की अधिसूचना के बाद से, लगभग 157 लाख टन प्लास्टिक पैकेजिंग अपशिष्ट का पुनर्चक्रण किया जा चुका है।

(ङ) और (च): प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन नियमों में, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा अधिसूचित दिशानिर्देशों के अनुसार, इन नियमों के प्रावधानों का पालन न करने वाले व्यक्तियों पर, 'प्रदूषक भुगतान भरें' सिद्धांत के आधार पर पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति लगाने का एक अलग प्रावधान है। सीपीसीबी ने अगस्त 2024 में पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति के आकलन हेतु संशोधित दिशानिर्देश जारी किए हैं। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में संबंधित अधिकारियों द्वारा भी उल्लंघन करने वालों पर कार्रवाई की गई है, जिसमें प्रतिबंधित एकल-उपयोग वाली प्लास्टिक वस्तुओं को जब्त करना और कानून के अनुसार जुर्माना लगाना शामिल है।
